Representative, Any Dominion, Colony, possession of her Majesty, Her Majesty or Privy Council, Her Majesty's Government and possession of British Crown". ये जो all the colonial words थे, इस एविडेंस एक्ट में उन सबको निकाल दिया गया है। ये जो गुलामी के चिह्न थे, ये समाप्त हो गए हैं।

महोदय, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्रावधान है। आज हर चीज में क्राइम होता है, तो कहीं न कहीं हम सबसे पहले टेलीफोन की, मोबाइल की ही बात करते हैं कि वह मिल जाए, तो हम उसको एनालाइज़ करके मुल्जिम तक, जितने लोग उसमें शामिल हैं, उन तक पहुँच सकते हैं। उन सबको दस्तावेज की श्रेणी में लाया गया है। साथ ही साथ, हमें जो एविडेंस मिलेगा, वह सेकंडरी होगा। उसमें कोई घपला न हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि उसका एक अधिकारी होगा, जो उसको देखेगा, सर्टिफिकेट देगा, तब कोर्ट में उसमें मान्यता होगी।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक ऐतिहासिक दिन है और हम सभी उस इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। महोदय, मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। आज उस गरीब घर के बच्चे को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन आपने बोलने का मौका दिया। यह मेरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मेरी लाइफ का महत्वपूर्ण दिन वह दिन भी था, जब मुझे होम अफेयर्स कमिटी का चेयरमैन बनाया गया था। महोदय, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इन बिल्स पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, खास कर अमित शाह जी, जिन्होंने इन बिल्स को बनवाने में चार साल मेहनत की, जिन्होंने खुद 183 मीटिंग्ज़ अटेंड की। उन्होंने पूरे देश के जितने विद्वान थे, उनसे परामर्श किया। उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों को, सभी एमपीज़ को, सभी वाइस-चांसलर्स को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सबको पत्र लिखे। पत्र लिखने के बाद जो तमाम सुझाव आए, उनके कमेंट्स आए, उनके इनपुट्स आए, उन सबको मिला कर उन्होंने चार साल में ये बिल्स तैयार किए, 11 अगस्त, 2023 को पेश किए और आज ये राज्य सभा से पास होकर कानून बन जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत!

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023

MR. CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 21st December, 2023, has agreed without any amendment to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment,

Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 12th December, 2023.

GOVERNMENT BILLS

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023,
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
&
The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sujeet Kumar.

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी, बीजू जनता दल की तरफ से इन तीन ऐतिहासिक कानूनों के समर्थन में खड़ा हूँ। कोई भी कानून जनहित में हो या देशहित में हो, मेरी पार्टी, बीजू जनता दल हमेशा सरकार के साथ खड़ी रही है - चाहे वह धारा 370 को हटाने की बात हो या ट्रिपल तलाक की बात हो या ये तीन कानून हों।

महोदय, व्यक्तिगत तौर से, I applaud these three Bills because these are in the interest of Mother India. They uphold the integrity, unity and sovereignty of our country. Hence, I personally support these three Bills. महोदय, मैं अपने आपको खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि इन बिल्स पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और मैं स्थायी समिति का एक सदस्य भी हूँ, जिसको ये बिल्स रेफर किये गये थे और जिसके चेयरमैन श्री बृज लाल जी हैं, जिन्होंने अभी अपने भाषण में इनके बारे में विस्तृत रूप से बताया। साथ ही मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे सजेशंस, जो समिति ने दिये थे, उनको इन बिल्स में incorporate किया गया है।

Sir, Shri Brij Lal has already spoken and gone into details about the technical provisions of the Bill. I will articulate why I support these Bills by giving five reasons. First and foremost, the essence of these three Bills is justice, equality and neutrality. These are the three foundational pillars of our Constitution. Because of the constitutional norms and because we all believe in the Constitution of the country, which the hon. Prime Minister mentioned as the Bible of the nation, the Geeta of our nation, I support these three Bills. This is a tribute to the founding fathers of our Constitution -- Dr. Ambedkar, Sardar Patelji, etc. The second reason why I support these Bills is that this is a great step in moving away from the colonial hangover. In the three Acts -- IPC, CrPC and Evidence Act -- there were 475 mentions of colonial references like Her Majesty, Privy Council, Jury and Barrister, London Gazette, etc. So, at one stroke, these three Bills are completely doing away with all the vestiges